<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 13/09/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 12.09.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>1. थाना दिलदारनगर पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को महिन्द्रा XUV 500 में भारी मात्रा में शराब के साथ किया गया गिरफ्तार ।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.09.2025 को उ0नि0 बालेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर रक्सहाँ बाई पास मेन रेलवे क्रासिंग के पास से 01 नफर अभियुक्त सुनील यादव पुत्र कालिका यादव को महिन्द्रा XUV 500 में भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना दिलदारनगर पर मु0अ0सं0 174/2025 धारा- 60 EX ACT एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम पता -

1.सुनील यादव पुत्र कालिका यादव निवासी ग्राम लमुई रेलवे स्टेशन जमानियाँ थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-0149/2023 धारा- 411, 419, 420, 465, 468, 471 भा0द0वि0 थाना जमानियाँ गाजीपुर
2. मु0अ0स0-0347/2024 धारा 60, 72 आवकारी अधि0 थाना जमानियाँ गाजीपुर
3. मु0अ0स0-174/25 धारा 60, आवकारी अधि0 थाना दिलदारनगर गाजीपुर

बरामदगी-

1 . एक अदद् महेन्द्रा XUV 500 रजि0 नं0 DL8CAC 1143
2. 04 पेटी किंगफिसर कुल 96 केन (48 लीटर)
3. 10 पेटी में कुल 480 पाउच 8PM (86.400 लीटर) कुल दाम 71 हजार रुपया

<u>2. "श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0</u>

न्यायालय द्वारा धारा 304 भादवि के मुकदमे के 02 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 - 5,000/-रू0 के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

दिनांक 12.09.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कासिमाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 386/20 धारा 323, 504, 308, 304 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 1. अनिल कुमार पुत्र लल्लन राम 2. डब्लू राम पुत्र लल्लन राम निवासी मेख थाना कासिमाबाद गाजीपुर को मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध करते हुए धारा 304 भादवि में प्रत्येक को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 5000-5000/-रू0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर